ख- स्थायी प्रन्यासियों में से किसी का स्थान रिक्त होने पर उसके स्थानापन्न प्रन्यासी की नियुक्ति संयोजक के परामर्श पर अध्यक्ष करेगा । अस्थायी प्रन्यासियों के तीन वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात उनकी नियुक्ति स्थायी प्रन्यासी मण्डल करेगा । रिक्त स्थानों की पूर्ति के अभाव में न्यास का कार्य रूकेगा नहीं । नयी नियुक्ति होने ते पुराने प्रन्यासी काम्र करते रहेंगे आवश्यकतानुसार विशिष्ठ व्यक्ति आमंत्रित किये जा सकते हैं । ऐसे आमंत्रित व्यक्तियों एवं अस्थायी प्रन्यासियों की भूमिका मात्र परामर्श की रहेगी ।

7- निम्नलिखित परिस्थितियां उत्पन्न होने पर सम्बद्ध प्रन्यासी अथवा पदाधिकारी का पद रिक्त माना जायेगा :-

क- त्याग-पत्र देने पर

ख- नैतिक पतन से सम्बद्ध अपराध में सजा हो जाने पर

ग- मानसिक अथवा बौद्धिक रूप से अक्षम हो जाने पर

घ- दिवालिया घोषित होने पर

ड- सम्बद्ध बैठकों में लगातार दो वर्षों तक अनुमति लिये बिना अनुपस्थित रहने पर

च- प्रन्यासी मण्डल द्वारा पदच्युत होने पर

छ- मृत्यु होने पर

8- न्यास के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे -

क-	अध्यक्ष	-	1
ख-	उपाध्यक्ष	-	3
ग-	संयोजक	-	1
घ-	सहसंयोजक	-	2
ड-	महामंत्री	-	1
च-	मंत्री	-	3
छ-	कोषाध्यक्ष	-	1
ज-	उपकोषाध्यक्ष	-	1
झ-	सदस्य	-	6

--- 5

आशीष